न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
46 / 2017 / प्रार्थना पत्र	03.04.2017	10.06.2019

उनवान

1. अजीज पिता रसूल पिनारा मन्सूरी निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा
2. कमला बेवा कमरूद्धीन पिनारा निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा
   3–5 पप्पू, मुबारिक, सीमा पिता कमरूद्धीन निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा
6. गोपाल पिता मोडालाल बैरवा खेडाराजपुरा उर्फ ठीकरिया खेड़ा तह0 फूलियांकलां

– प्रार्थीगण

बनाम

हजारी पिता जुवारा कुमावत निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा–151 जा0दी0
(प्रकरण संख्या 652 / 2015 प्रा0प्र0 पत्थरगढ़ी कराये जाने हजारी बनाम अजीज वगैरा तारीख फैसल 11 / 07 / 2015)

उपस्थिति – श्री मोहम्मद शरीफ :– अभिभाषक – प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 एवं धारा 151जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण (विपक्षीगण) के विरूद्ध विपक्षी (प्रार्थी) हजारी पिता जुवारा कुमावत निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत किया था। जिसके मुकदमा नम्बर 652 / 2015 उनवान हजारी कुमावत बनाम अजीज वगैरा के पेश किया गया था। प्रार्थी हजारी कुमावत ने उगमा,हगामी और श्रवण को उक्त प्रार्थना पत्र में गलत तौर से विपक्षीगण बनाया गया था। जबकि यह तीनों ही प्रार्थी हजारी की जमीन के पड़ौसी है ही नहीं। इनमें से उगमा व श्रवण का कई वर्षों पूर्व देहान्त हो गया था और कानून का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी प्रार्थना पत्र या कार्यवाही न्यायानल में प्रस्तुत नही की जा सकती है और न ही उनर्के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अतः आदेश दिनांक 11.0.7.2015 अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को कोई नोटिस जारी नही किया गया है। जिससे निर्णय दिनांक 11.07.2015 से विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 केम्प कोर्ट तहनाल पर रखा जाकर विपक्षीगण को बिना बुलाए ही आदेश पारित कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण को जानकारी दिनांक 30.05.2016 को हुई, जब गिरदावर साहब उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करने मौके पर आये। दिनांक 31.05.2016 को इस आदेश की नकल लेने हेतु हमने प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 31.05.2016 को ही नकल प्राप्त हो गई, जिससे उक्त प्रकरण संख्या 652 / 2015 मे पारित एकतरफा पत्थरगढ़ी आदेश को निरस्त कराने हेतु यह

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रार्थना हम प्रार्थीगण द्वारा अन्दर अवधि एक माह में प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 11.07.2015 से दिनांक 31.05.2016 तक की अवधि को न्यायहित में कंडोन कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। प्रार्थी संख्या 6 गोपाल पिता मोडालाल बैरवा इस प्रकरण में व्यथित पक्षकार है, क्योंकि भैरू पिता भूरा बलाई से उसकी जमीन लादी देवी पत्नि मोडालाल बैरवा ने क्रय कर ली थी और लादी देवी का देहान्त हो जाने से उसका वारिस पुत्र गोपाल बैरवा है। धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

प्रकरण पंजिबद्व किया जाकर विपक्षी (प्रार्थी) को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.02.2018 को विपक्षी (प्रार्थी) उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्ररकण बहस के नियत किया गया। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण(विपक्षीगण) ने बताया कि विपक्षीगण 7, 8 और 9 पूर्व पत्थरगढी प्रकरण में पडौसी नही है, 7 व 9 की मृत्यु हो गई है। विपक्षी 6 भैरू पिता भूरा बलाई को पक्षकार बनाया गया जो अनुचित है। प्रार्थना के साथ आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 व सेक्शन 5 संलग्न है। अतः उक्त आदेश विपक्षीगण के विरूद्ध सेटेसाईड किया जावें। बहस पर मनन एवं प्रकरण का भली भांति अवलोकन किया गया। पूर्व पत्थरगढी प्रकरण संख्या 652/2015 निर्णय दिनांक 11.07.2015 को प्रार्थीगण(विपक्षीगण) के विरूद्ध राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प कोर्ट मुख्यालय तहनाल पर आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। दिनांक 31.05.2016 को नकल ली जाकर एक माह में प्रस्तुत करना बताया गया है, किन्तु प्रकरण 06.06.2016 को प्रस्तुत किया गया है। केम्प के बाद दिनांक 22.08.2016 को प्रकरण पर रिपोर्ट की जाकर जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति नही होने से प्रकरण में आक्षेप किया गया है, जिसकी पूर्ति अभिभाषक प्रार्थीगण(विपक्षीगण) द्वारा लगभग 8 माह पश्चात् की जाने से प्रकरण दिनांक 03.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तलबी की गई है।अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 8 में धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत करना बताया है, किन्तु कोई प्रार्थना पत्र अलग से पस्तुत नही किया गया है। प्रकरण का निस्तारण दिनांक 11.07.2015 को हो चुका है। इतना लम्बा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 धारा 151 जा0दी0 व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण (विपक्षीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)